

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3107
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

नहरों के खराब अनुरक्षण का कृषि उत्पादकता पर प्रभाव

3107. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में कृषि उत्पादकता पर नहरों के खराब अनुरक्षण के प्रभाव का आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे आकलन के निष्कर्षों सहित सर्वाधिक प्रभावित जिलों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारी गाद जमाव और जलीय खरपतवारों की वृद्धि के कारण नहर प्रणालियों के अंतिम छोरों तक जल प्रवाह को बनाए रखने में गंभीर रूप से दिक्कतें आई हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) नहरों की पूर्ण जलवहन क्षमता को बहाल करने और ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): नहरों का रखरखाव और कमान क्षेत्र विकास कार्य राज्य का विषय है और इनकी आयोजना, वित्तपोषण, कार्यान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका प्रेरक के रूप में कार्य करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत कुछ चिन्हित परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश में नहरों के खराब रखरखाव से कृषि उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, मुख्य रूप से कृष्णा, गोदावरी और पेन्ना डेल्टा प्रणालियों जैसे डेल्टा क्षेत्रों में नहरों में जलीय खरपतवारों की वृद्धि और गाद जमाव की समस्या है और सोमासिला परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना और तुंगभद्रा परियोजना की उच्च स्तरीय नहर प्रणालियों में भी गाद जमाव की समस्या है।

(ङ): आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने सिंचाई प्रणालियों के प्रभावी जल विनियमन के पुनर्स्थापन के लिए 629.18 करोड़ रुपये की राशि से 9,514 कार्यों को मंजूरी दी है, जिससे सिंचाई अवसंरचना की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सके। इन कार्यों का उद्देश्य नहर प्रणालियों के माध्यम से जल का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है जिससे जलक्षेत्र के अंतिम छोर तक जल आपूर्ति हो सके। इनमें से अब तक 4,947 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

भारत सरकार पुराने और क्षतिग्रस्त नहर नेटवर्क के नवीकरण के माध्यम से खोई हुई सिंचाई क्षमता का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत कुछ चिन्हित विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं के लिए आंशिक केंद्रीय सहायता भी प्रदान करती है।
